श्री जी. के. पिल्लै, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की दिनांक 05.08.2008 को अपराह्न 2.30 बजे सम्मेलन कक्ष सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-। में दी गयी है ।

2. श्री नीरज कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव ने प्रतिभागियो का स्वागत करते हुए यह सूचित किया कि वर्ष 2008-09 के लिए एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत 570 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है । एएसआईडीई दिशानिर्देशों के अनुसार कुल निधि का 80% अर्थात 456 करोड़ रूपए अनंतिम रूप से राज्य घटक के अंतर्गत राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आवंटित किए गए हैं और शेष 20% अर्थात 114 करोड़ रूपए एएसआईडीई स्कीम के केंद्रीय घटक के लिए निर्धारित किए गए हैं । 13 करोड़ रूपए की राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित की गई है । केंद्रीय घटक के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर हम पिछले वर्षों में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित चालू परियोजनाओं के लिए 230.51 करोड़ रूपए की देयता हेतु प्रतिबद्ध हैं और 221.79 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता हेतु 42 नई परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । उन्होंने कहा कि उपर्युक्त के मद्देनजर निर्यात हेतु विभिन्न परियोजनाओं के महत्व और चाल वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चालू परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं को वरीयता दी जानी चाहिए ।

3. तत्पश्चात् कार्यसूची की मदों पर क्रमानुसार विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

<u>मद सं. 1 :</u> पिछले वर्षों के दौरान एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की निधि संबंधी आवश्यकता ।

क्र. सं.	परियोजना	संबंधित एजेंसी	एएसआईडीई के अंतर्गत अनुमोदित कुल अंशदान	जारी की जा चुकी राशि	जारी की जाने वाली शेष राशि	लिए गए निर्णय
1	सीप्ज परिसर में मौजूदा कैफेटेरिया को गिराकर व्यापार सुगमीकरण केंद्र का निर्माण	सीप्ज	229.20	160.44	68.76	समिति ने इस परियोजना हेतु 68.76 लाख रू. की शेष राशि को जारी करने का निर्णय लिया था । यह राशि सीप्ज द्वारा पूर्व में जारी की गई 160.44

						लाख रू. की राशि के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी ।
2	चर्म परिसर, जालंधर में दूसरा मॉड्यूल सीईटीपी	(पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि.) पीएसआईईसी	840.00	400.00	440.00	समिति ने इस परियोजना के संबंध में फैसले को आस्थगित रखने का निर्णय लिया है ।
3	तमिलनाडु में रबड़ उद्योग पार्क हेतु रबड़ बोर्ड का प्रस्ताव	रबड़ बोर्ड	355.00	177.50	177.50	रबड़ बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया था कि तमिलनाडु सरकार ने प्रस्ताव को पार्क मोड से बदलकर एसईजेड मोड कर दिया है जो उस प्रयोजन से अलग है जिसके लिए निधियाँ संस्वीकृत की गई थी । यह निर्णय लिया गया कि रबड़ बोर्ड उन्हें जारी की गई 177.50 लाख रूपए की राशि लौटा दे ।
4	कोलकाता में मल्लिकघाट पुष्प बाजार में नीलामी केंद्र की स्थापना	डब्ल्यूबीएफपीआई एंड एच	1000.00	500.00	500.00	विकास आयुक्त फाल्टा एसईजेड को परियोजना की मौजूदा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और तत्पश्चात मामले की फाइल पर जाँच की जाएगी ।
5	कन्वेंशन एंड ट्रेड सेंटर, भोपाल	आईटीपीओ (पीडीएफ के जरिए)	1500.00	67.00	1433.00	ईडी, आईटीपीओ द्वारा प्रगति की जाँच की जाए और एक रिपोर्ट भेजी जाए ।
6	बंगलौर में ईओयू	सीएसई	400.00	74.00	326.00	समिति ने चालू वित्तीय

	हेतु सुगमीकरण केंद्र	जेड				वर्ष अर्थात 2008-09 के दौरान परियोजना के लिए 250 लाख रूपए जारी करने का निर्णय लिया ।
7	किन्फ्रा, केरल में इंटरनेशनल एनिमेशन स्कूल के संबंध में केरल सरकार का प्रस्ताव	किन्फ्रा	686.00	228.00	228.00	समिति ने इस परियोजना के संबंध में फैसले को आस्थगित करने का निर्णय लिया है ।
8	गोपेश्वर में एनालिटिकल एंड टिशूकल्चर लैब की स्थापना हेतु सचिव (बागवानी), उत्तरांचल सरकार का प्रस्ताव	उत्तरांचल सरकार	100.00	0	100.00	समिति ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र के मुद्दे के निपटान के पश्चात ही इस वर्ष 100 लाख रूपए की राशि जारी करने का निर्णय लिया है ।
9	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु ईपीसीएच का प्रस्ताव	ईपीसीएच	477.50	15.50	462.50	समिति ने यह निर्णय लिया कि संयुक्त सचिव (एनकेजी)/अपर सचिव (आरजी) विचार-विमर्श हेतु ईपीसीएच को आमंत्रित करें और फाइल पर इस मामले के संबंध में प्रक्रिया शुरू की जाए ।
10	व्यापार मार्ट, शेरा थांग, नाथुला सीमा पर अवसंरचना विकास संबंधी सिक्किम सरकार का प्रस्ताव	सिक्किम सरकार (एसआईड आईसीओ)	1342.58	835.27	507.31	पूर्व में जारी निधि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है । सिक्किम सरकार के प्रतिनिधियों को चालू वर्ष के लिए निधि संबंधी तात्कालिक आवश्यकता की जांच करने और संबंधित सूचना 10 दिन के भीतर देने का निर्देश दिया गया ।
11	केएसईजेड में विस्तार क्षेत्र का विकास	केएसई जेड	4240.55	1459.50	1275.50	समिति ने वर्ष 2008-09 के दौरान इस परियोजना के लिए 600 लाख रूपए

						जारी करने का निर्णय लिया ।
12	प्रशासनिक भवन का निर्माण	केएसई जेड	280.00	100.00	182.00	समिति ने वर्ष 2008-09 के दौरान इस परियोजना के लिए 50 लाख रूपए जारी करने का निर्णय लिया ।
13	एसडीएफएल ब्लॉक का निर्माण	एनएसई जेड	2211.00	0	2211.00	समिति ने 2211 लाख रूपए की संशोधित लागत को अनुमोदित किया और वर्ष 2008-09 के दौरान इस परियोजना के लिए 600 लाख रूपए जारी करने का निर्णय लिया ।
14	दो एसडीएफ ब्लॉक का बाह्य विकास	एनएसई जेड	383.00	218.86	164.14	समिति ने एनएसईजेड द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद इस परियोजना हेतु शेष 164 लाख रूपए जारी करने का निर्णय लिया ।
15	आरओबी दादरी के निर्माण हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	1250.00	650.00	600.00	समिति ने इस मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया और यह सुझाव दिया कि विकास आयुक्त एनएसईजेड तथा राज्य सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति की जाँच की जाए ।
16	पश्चिम बंगाल व्यापार संवर्धन केन्द्र	पश्चिम बंगाल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूबी	1500.00	664.1537	835.84	समिति ने इस परियोजना के संबंध में फैसले को आस्थगित करने का निर्णय लिया है ।

		टीपीओ)				
17	भू-सीमाशुल्क स्टेशन, सुतारकण्डी में हार्ड शोल्डर का निर्माण	सीमा सड़क संगठन	106.25	28.44 (बचत में से)	77.81	समिति ने बीआरओ से प्रगति की जांच करने और तत्पश्चात फाइल पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया ।
18	मेंहदीपुर भू-सीमा शुल्क स्टेशन के लिए डीपीआर तैयार करना	सीडब्ल्यूसी	0.75	0.375	0.375	समिति ने इस परियोजना के संबंध में फैसले को आस्थगित करने का निर्णय लिया है ।
19	एफएसईजेड में सिंगल रूम होस्टल आवास का निर्माण	एफएसईजेड	237.79	60	177.79	समिति ने एफएसईजेड द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद परियोजना हेतु 177.79 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया ।
20.	अतिरिक्त प्रस्तावः एफएसईजेड, सेक्टर-II में अग्निशमन अवसंरचना	एफएसईजेड	261.67	100	161.67	समिति ने एफएसईजेड द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद परियोजना हेतु 161.67 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया ।
21	कोल्लम पत्तन में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	केरल सरकार	1280	500	780	समिति ने इस परियोजना के संबंध में फैसले को आस्थगित करने का निर्णय लिया है । केरल सरकार द्वारा अब तक जारी 500 लाख रूपए के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।
22	एसडीएफ भवन का निर्माण	वीएसईजेड	750	375	375	समिति ने परियोजना हेतु 375 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया है ।
23	दो अतिरिक्त	वीएसई	400	200	200	समिति ने परियोजना हेतु

	मंजिलों का निर्माण	जेड				200 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया है ।
24	सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन यूनिट (एससीएफई) की स्थापना	उत्तरांचल सरकार	240.11	0	240.11	समिति ने इस परियोजना के संबंध में फैसले को आस्थगित करने का निर्णय लिया है ।
25	गुंटूर, आंध्र प्रदेश में प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केंद्र	मसाला बोर्ड	477	100	150	समिति ने यह निर्णय लिया कि इस वर्ष के दौरान **कोई निधि** जारी नहीं की जाएगी ।
26	दिल्ली में प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केंद्र	मसाला बोर्ड	500	50	150	समिति ने यह निर्णय लिया कि इस वर्ष के दौरान **कोई निधि** जारी नहीं की जाएगी ।
27	आईडीआई, सूरत में सिटी सेंटर	भारतीय हीरा संस्थान (आईडी आई)	472	143.64	328.36	समिति ने इस परियोजना हेतु 200 लाख रूपए की राशि जारी करने का निर्णय लिया । शेष राशि पूर्व में जारी की गई निधि की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के पश्चात वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही में जारी की जाएगी ।
अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान अतिरिक्त कार्यसूची के रूप में प्रस्तुत सीप्ज की चालू परियोजना						
28	वर्षा जल संरक्षण	सीप्ज	150.00	45.00	105.00	समिति ने इस परियोजना हेतु 105 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया ।
29	मौजूदा सीमाशुल्क जाँच सड़क को 75 मि.मी. बीएम और 10 मि.मी. एसी द्वारा बेहतर बनाना	सीप्ज	160.00	40.00	120.00	समिति ने इस परियोजना हेतु 120 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया ।

30	पावर ब्लॉक के साथ वाली आंतरिक सड़क के किनारे फुटपाथ का निर्माण	सीप्ज	250.00	50.00	200.00	समिति ने इस परियोजना हेतु 120 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया ।
31	आंतरिक सड़क के साथ आरसीसी पाइप वाले बिल्ट-अप गटर का निर्माण	सीप्ज	225.00	45.00	180.00	समिति ने इस परियोजना हेतु 180 लाख रूपए की शेष राशि जारी करने का निर्णय लिया ।

मद सं. 2. एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत विभिन्न एसईजेडों/अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रेषित नए परियोजना प्रस्तावों पर विचार

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल लागत	एएसआईडीई के अंतर्गत प्रार्थित राशि	लिए गए निर्णय
1	एसटीसीएल	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में वाष्प विसंक्रमण इकाई, की स्थापना	804.00	629.00	एएसआईडीई स्कीम के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 804 लाख रूपए की कुल लागत वाली एसटीसीएल की परियोजना के लिए 629 लाख रूपए की वित्तीय सहायता को अनुमोदित किया गया । वर्ष 2008-09 के दौरान 629 लाख रूपए जारी किए जाएँगे ।
2	एफएसईजेड	6800 वर्ग मी. के अविकसित प्लॉट में मिट्टी भरना	9.95	9.95	9.95 लाख रूपए की राशि के लिए फाल्टा एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है । यह सुझाव दिया गया कि विकास आयुक्त एसईजेड/पीपीपी के अन्य लघु शीर्षों से इस कार्य को पूरा करने पर विचार करेंगे ।
3	एफएसईजेड	सेक्टर-II में जल वितरण लाइन	36.03	36.03	36.03 लाख रूपए की राशि के लिए फाल्टा एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 36.03 लाख रूपए की पूरी राशि वर्ष 2008-09 के दौरान जारी की जाएगी ।

4	एफएसईजेड	ईंट की चारदीवारी बनाना और रेजर वायर कन्सर्टिना कॉयल तथा दो वॉच टावर बनाना	42.56	42.56	42.56 लाख रूपए की राशि के लिए फाल्टा एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है ।
5	एफएसईजेड	ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना द्वारा हाल ही में निर्मित क्वॉर्टर कॉम्प्लेक्स तथा इलेक्ट्रिकल फेसिलिटी में आंतरिक मार्ग का निर्माण और सेक्टर II में शेड सं. 1 से 5 के क्षेत्र का विकास और आंतरिक सड़कों का निर्माण ।	125.08	125.08	125.08 लाख रूपए की राशि के लिए फाल्टा एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 25 लाख रूपए की राशि वर्ष 2008-09 के दौरान जारी की जाएगी ।
6	केएसईजेड	जोन में सामाजिक अवसंरचना	325	325	325 लाख रूपए की राशि के लिए कांडला एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है । पीपीपी मॉडल की जाँच की जाए ।
7	केएसईजेड	पुराने क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी अन्य आवश्यक विकास कार्य	3025	3025	कांडला एसईजेड के प्रस्ताव में 125 लाख रूपए की राशि वाले चेन लिंक फेन्सिंग को सुदृढ़ बनाने से संबंधित घटक को अनुमोदन प्रदान किया गया था । 125 लाख रू. की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी ।
8	वीएसईजेड	भूमिगत जल भंडारण टैंक का निर्माण	98.00	88.00	98 लाख रूपए की कुल लागत वाले वीएसईजेड के प्रस्ताव हेतु 88 लाख रूपए की राशि अनुमोदित की गई । यह पूरी राशि चालू वित्तीय वर्ष के

					दौरान जारी की जाएगी । शेष 10 लाख रूपए की व्यवस्था वीएसईजेड द्वारा निजी भागीदारी के जरिए की जाएगी ।
9	वीएसईजेड	भोजन कक्ष का निर्माण	25.00	20.00	20 लाख रूपए की राशि के वीएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।
10	वीएसईजेड	ट्रक/भारी वाहन पार्किंग सुविधा मुहैया कराना	110.00	100.00	110 लाख रूपए की कुल लागत वाले वीएसईजेड के प्रस्ताव हेतु 100 लाख रूपए की राशि अनुमोदित की गई । यह पूरी राशि वर्ष 2008-09 के दौरान जारी की जाएगी । शेष 10 लाख रूपए की व्यवस्था वीएसईजेड द्वारा निजी भागीदारी के जरिए की जाएगी ।
11	वीएसईजेड	जोन में सोलर लैम्प मुहैया कराना	200.00	175.00	175 लाख रूपए की राशि के वीएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।
12	एमएचए (सीमा प्रबंधन)	रक्सौल (बिहार): एक्जामिनेशन यार्ड के आसपास मास्ट लाइट/वैपर लाइट की संस्थापना और वॉच टावर तथा 3 द्वारों का निर्माण	6.25	6.25	6.25 लाख रूपए के सीमा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया ।
13	एमएचए (सीमा प्रबंधन)	जोगबनी (बिहार): एलसीएस के एक्जामिनेशन शेड का निर्माण जो वर्तमान में फूस की एक झोपड़ी में है ।	16.25	16.25	16.25 लाख रूपए के सीमा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया ।
14	एमएचए (सीमा	पानी टंकी (प. बंगाल) : प्लेन	22.00	22.00	22 लाख रूपए के सीमा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया

	प्रबंधन)	कंक्रीट सीमेंट का आयात एवं निर्यात एक्जामिशन शेड, 2 + 2 = 4 एकड़			गया ।
15	सीएसईजेड	सीएसईजेड प्रशासनिक कार्यालय के साथ सीएसईजेड विद्युत वितरण नेटवर्क का संयोजन	31.00	31.00	31 लाख रूपए की राशि के सीएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 लाख रूपए की पूरी राशि जारी कर दी जाएगी ।
16	सीएसईजेड	सीएसईजेड में कम्प्यूटरीकरण (फेज-III) (वातानुकूलन सहित)	52.75	52.75	52.75 लाख रूपए के राशि के सीएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।
17	सीएसईजेड	आबद्ध विद्युत उत्पादन	1800.00	1400.00	1400 लाख रूपए के राशि के सीएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।
18	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार	हवाई अड्डा-सी पोर्ट रोड से इन्फो पार्क तक चार लेन वाली सड़क	2437	870	870 लाख रूपए के राशि के केरल सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया ।
19	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार	इन्फो पार्क-सीवर परिशोधन संयंत्र के चरण-II का विस्तार	250	250	250 लाख रूपए के राशि के केरल सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 250 लाख रूपए की यह पूरी राशि वर्ष 2008-09 के दौरान जारी की जाएगी । केरल सरकार के प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि यह सीईटीपी परियोजना नहीं है अतः राज्य/निजी क्षेत्र से 50% का अनिवार्य अंशदान अपेक्षित नहीं है ।
20	सूचना प्रौद्योगिकी	इन्फो पार्क-सेंट्रल रोड	1000	640	640 लाख रूपए के राशि के केरल सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं**

	विभाग, केरल सरकार	प्रणाली में 167.23 एकड़ क्षेत्र में चरण-II का विस्तार			किया गया ।
21	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार	इन्फो पार्क-विद्युत आपूर्ति के चरण-II का विस्तार	2000	740	740 लाख रूपए के राशि के केरल सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
22	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार	इन्फो पार्क-जल परिशोधन संयंत्र के चरण-II का विस्तार	420	150	420 लाख रूपए की कुल लागत वाले केरल सरकार के प्रस्ताव हेतु 150 लाख रूपए की राशि अनुमोदित की गई । 150 लाख रूपए की पूरी राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी ।
23	उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार	प्रागपुर चौकड़ी से अदानी पत्तन, मुंद्रा (गुजरात) तक सड़क का निर्माण	2466.37	1233.19	गुजरात सरकार के इस प्रस्ताव में प्रागपुर चौकड़ी से अदानी पत्तन, मुंद्रा (गुजरात) तक 10 कि.मी. की सड़क के निर्माण के लिए एएसआईडीई स्कीम के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 1233.19 लाख रूपए की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध शामिल है । समिति ने इस प्रस्ताव की जाँच बाद में करने का निर्णय लिया ।
24	जे एंड के एसआईडीसीओ	जम्मू तथा कश्मीर में लासिपोरा (पुलवामा) और साम्बा में औद्योगिक वृद्धि केन्द्रों में दो सामान्य एफ्लुएंट संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना	641.55	193	641.55 लाख रूपए की कुल लागत से जम्मू तथा कश्मीर में लासिपोरा (पुलवामा) और साम्बा में औद्योगिक वृद्धि केन्द्रों में दो सामान्य एफ्लुएंट संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना संबंधी जे एंड के एसआईडीसीओ के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । एएसआईडीई के अंतर्गत अंशदान 320 लाख रूपए होगा जो कुल लागत का 50% है । 193 लाख रूपए की राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी ।
25	आरआईटीईएस	भारत-चीन सीमा पर शेराथांग,	16.17	8.08	शेराथांग में एकीकृत जांच चौकी की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अध्ययन हेतु

		गंगटोक में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के विकास संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट का अध्ययन			16.17 लाख रूपए के शुल्क के 50% अर्थात 8.08 लाख रूपए की राशि जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 8.08 लाख रूपए की यह राशि 2008-09 के दौरान जारी की जाएगी ।
26	एमईपीजेड एसईजेड	सीमेंट रोड, डक्ट्स तथा सड़क पर प्रकाश व्यवस्था	585	585	585 लाख रूपए की राशि के एमएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । विकास आयुक्त, एमएस ईजेड ने यह सूचित किया कि यह कार्य पहले से उपलब्ध निधियों से चरणबद्ध रूप में पूरा किया जाएगा और उनके द्वारा केवल प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित है ।
27	एमईपीजेड एसईजेड	एमईपीजेड परिसर के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य द्वार, सुरक्षा कक्ष तथा सीमाशुल्क कार्यालय कक्ष	175	175	175 लाख रूपए की राशि के एमएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 175 लाख रूपए की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी ।
28	एमईपीजेड एसईजेड	कार्यालय भवन का आधुनिकीकरण	200	200	200 लाख रूपए की राशि के एमएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 200 लाख रूपए की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी ।
29	एमईपीजेड एसईजेड	जीएसटी सड़क के मुख्य द्वार के सामने पैदल यात्रियों के लिए सब-वे का निर्माण	800	899	800 लाख रूपए की राशि के एमएसईजेड के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया ।
30	मसाला बोर्ड	लहसुन तथा हरी मिर्च की एक्ट्रैक्शन यूनिट के लिए	1743	748	एएसआईडीई के केंद्रीय घटक के अंतर्गत लहसुन तथा हरी मिर्च की एक्ट्रैक्शन यूनिट के लिए निर्जलीकरण संयंत्र की स्थापना हेतु अतिरिक्त

		निर्जलीकरण संयंत्र की स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता की संस्वीकृति			सहायता की संस्वीकृति के लिए 748 लाख रूपए की वित्तीय सहायता संबंधी मसाला बोर्ड के प्रस्ताव की फाइल पर जांच की जाएगी ।
31	सीप्ज एसईजेड	विद्युत संबंधी निर्माण कार्यों का पुनर्संयोजन एवं संबंधित नवीकरण	189.44	189.44	189.44 लाख रूपए के राशि के सीप्ज एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
32	सीप्ज एसईजेड	जोन परिसर में वॉच टावर्स का निर्माण	63.66	63.66	63.66 लाख रूपए के राशि के सीप्ज एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
33	सीप्ज एसईजेड	सीप्ज के स्टाफ क्वार्टरों में बाह्य एवं आंतरिक मरम्मत कार्य	188.44	188.44	75 लाख रूपए के राशि के सीप्ज एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । इस प्रस्ताव में मौजूदा सुविधा का नवीकरण शामिल है ।
34	सीप्ज एसईजेड	अहाते की आरसीसी दीवार का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण तथा सीप्ज एसईजड के चारो ओर 15 लाइनों वाली काँटेदार बाड़ लगाना	802.17	802.17	802.17 लाख रूपए के राशि के सीप्ज एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
35	सीप्ज एसईजेड	सीप्ज परिसर में मै. सीजीआई से मै. तारा अल्टिमो तक सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाकर सड़क को मै. इटरगोल्ड से जोड़ना	446.27	446.27	एएसआईडीई से 50% के अंशदान के साथ 446 लाख रूपए की राशि के सीप्ज एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया और शेष 50% की व्यवस्था सीप्ज द्वारा निजी भागीदारी के जरिए की जाएगी । 200 लाख रूपए वर्ष 2008-09 के दौरान जारी किए गए ।
36	सीप्ज	जी एंड जे भवन	1096.23	1096.23	1096.23 लाख रूपए के सीप्ज

	एसईजेड	सं. I, II तथा III और एसडीएफ भवन सं. 5 में मरम्मत का कार्य			एसईजड के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया ।
37	एनएसईजेड	एनएसईजेड में 33/11 कि.वॉ. के नए सब स्टेशन का निर्माण	721.25	721.25	721.25 लाख रूपए के राशि के एनएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
38	एनएसईजेड	एनएसईजेड में मौजूदा सुरक्षा सड़क को मजबूत बनाना	116.00	116.00	116.00 लाख रूपए के राशि के एनएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
39	एनएसईजेड	द्वार सं. 2 का प्रचालन शुरू करना और सीमाशुल्क कक्ष तथा द्वार कक्ष का निर्माण	27.31	27.31	27.31 लाख रूपए के राशि के एनएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । 27.31 लाख रूपए की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी ।
40	एनएसईजेड	मौजूदा बिटूमिनस सड़क को 4 कि.मी. तक आरसीसी सड़क में बदलना	136.00	136.00	136.00 लाख रूपए के राशि के एनएसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित **नहीं** किया गया ।
41	आईटीपीओ	पाम्पोर, कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र	4000	3000	पाम्पोर, कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र हेतु एएसआईडीई स्कीम के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 3000 लाख रूपए की वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था । आईटीपीओ द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान निधियों की आवश्यकता से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यह राशि निविदा की प्रक्रिया के बाद जारी की जाएगी ।
42	एपीडा	विभिन्न राज्यों में संग्रहण केन्द्रों	6225	2697	विभिन्न राज्यों में संग्रहण केन्द्रों और शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों

		और शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों से संबंधित 8 परियोजनाएँ			से संबंधित 8 परियोजनाओं हेतु एपीडा का प्रस्ताव (i) सब्जियों के लिए 11 संग्रहण केंद्र (छिंदवाड़ा): 425 लाख रूपए (ii)सीपीसी कोचीन : 273 लाख रूपए (iii) सीपीसी गोवा : 237 लाख रूपए (iv) सीपीसी नासिक : 171 लाख रूपए (v) सीपीसी कोलकाता : 394 लाख रूपए (vi) सीपीसी बागडोगरा : 227 लाख रूपए (vii) सीपीसी गुवाहाटी : 210 लाख रूपए (viii) सीपीसी अहमदाबाद : 760 लाख रूपए । इसके लिए एएसआईडीई स्कीम के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 2697 लाख रूपए की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया था । समिति ने केवल तीन परियोजनाओं को अनुमोदित करने का निर्णय लिया । (i) सब्जियों के लिए 11 संग्रहण केंद्र (छिंदवाड़ा): 425 लाख रूपए (ii) सीपीसी कोचीन : 273 लाख रूपए (iii) सीपीसी कोलकाता : 394 लाख रूपए (कुल 1092 लाख रूपए की लागत) । यह पूरी राशि अर्थात 1092 लाख रूपए वर्ष 2008-09 के दौरान जारी की जाएगी ।

3. निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति का कार्योत्तर अनुमोदन

ईसी द्वारा निम्नलिखित निर्णयों की पुष्टि की गई : -

(i) एएसआईडीई के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 9.45 करोड़ रूपए की सहायता से कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित 4 अवसंरचना परियोजनाओं हेतु एपीडा के प्रस्ताव को वाणिज्य सचिव द्वारा फाइल पर अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

परियोजना	एएसआईडीई के सहायता
सीआईएएल, कोचीन में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो (सीपीसी) हेतु केंद्र	1.50 करोड़ रूपए
सौसर तथा उमरनाला (छिंदवाड़ा), मध्य प्रदेश में समेकित पैक हाऊस	4.45 करोड़ रूपए

सुविधाएँ	
एनआरसी, पुणे में अंगूर के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाएँ	0.84 करोड़ रूपए
मध्य प्रदेश में संग्रहण केंद्र	2.75 करोड़ रूपए
कुल	9.54 करोड़ रूपए

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकार प्राप्त समिति के कार्योत्तन अनुमोदन के अध्यधीन एपीडा को 9.54 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं ।

(ii) एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 1 जून, 2005 को आयोजित बैठक में एएसआईडीई के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 43.50 लाख रूपए की सहायता से पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक म पशु कल्याण परियोजनाओं हेतु सीएलई के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था । तदुपरांत यह अनुदान राशि जारी की गई थी तथापि, परियोजना के कुछेक हिस्सों का निष्पादन न होने के कारण सीएलई 43.50 लाख रूपए में से केवल 10 लाख रूपए का उपयोग करने में समर्थ रहा । सीएलई द्वारा 33.50 लाख रूपए की शेष राशि वापस कर दी गयी थी । वित्त प्रभाग तथा ईपी (एलएसजी) ने परियोजना को छोड़े जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की और अप्रयुक्त राशि को स्वीकार किया । सीएलई को परियोजना बंद करने की अनुमति देने के लिए अधिकार प्राप्त समिति से औपचारिक अनुमोदन माँगने का निर्णय लिया गया है ।

(iii) 18 लाख रूपए की लागत से भारत-चीन सीमा पर शेराथांग (गंगटोक) में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के विकास संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट के अध्ययन का कार्य इन्फ्रा-II द्वारा आरआईटीईएस लि. को सौंपा गया था । वाणिज्य सचिव ने अध्ययन की लागत को एएसआईडीई निधि से पूरा करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया था । आरआईटीईएस द्वारा मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियाँ जानने के लिए परिचालित किया गया था । आरआईटीईएस ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 16,17,984 रूपए का बिल प्रस्तुत किया था ।

(आरआईटीईएस को 8,08,992 रूपए जारी करने हेतु सूचीबद्ध)

(iv) एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 7.11.2006 को आयोजित बैठक में एएसआईडीई के केंद्रीय घटक के अंतर्गत 20.25 लाख रूपए की सहायता से कोचीन एसईजेड से निकटतम सिंचाई नहर तक वर्षा जल नाले के निर्माण संबंधी कोचीन एसईजेड के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया और तदुपरांत अनुदान राशि जारी की गई । तत्पश्चता सीएसईजेड ने लागत में संशोधन के कारण परियोजना हेतु 11.25 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया था । सीएसईजेड के इस अनुरोध को वाणिज्य सचिव द्वारा फाइल पर अनुमोदित किया गया था । पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसईजेड को 11.25 लाख रूपए की राशि जारी की गई है । एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस अनुदान की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है ।

(v) अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अवसंरचना परियोजनाओं संबंधी मद्रास ईपीजेड के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था और तदपुरांत अपेक्षित निधियाँ

जारी की गई थीं । तत्पश्चात 33/11 के. वी. ई.बी. सबस्टेशन की स्थापना संबंधी परियोजना तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा अपनी लागत से पूरी की गई और एमईपीजेड ने संशोधित कार्यकलाप एएसआईडीई द्वारा जारी निधियों से पूरे किए । कार्यकलापों में यह संशोधन एमईपीजेड के व्यय पैटर्न को वाणिज्य सचिव द्वारा फाइल पर अनुमोदित किया गया था । एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस अनुमोदन की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है ।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ इस बैठक का समापन किया गया ।

अनुबंध-I

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एएसआईडीई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 05.08.2008 को आयोजित बैठक के लिए प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	**प्रतिभागियों के नाम सर्वश्री/सुश्री**	**पदनाम/संगठन**
1	जी. के. पिल्लै	वाणिज्य सचिव
2	आर. गोपालन	अपर सचिव
3	नीरज के. गुप्ता	संयुक्त सचिव
4	दिनेश शर्मा	संयुक्त सचिव
5	वी. डी. आलम	निदेशक (वित्त)
6	ए. के. लाहिरी	उप सचिव (राज्य प्रकोष्ठ)
7	डी. के. वर्मा	अवर सचिव (राज्य प्रकोष्ठ)
8	अरूण कुमार बिट	विकास आयुक्त, एफएसईजेड
9	डॉ. एम. वी. सुब्बारेड्डी	विकास आयुक्त, वीएसईजेड
10	एस. सी. पाण्डा	विकास आयुक्त, नोएडा ईपीजेड
11	रवि एस. सक्सेना	विकास आयुक्त, केएसईजेड
12	सी. जे. मैथ्यू	विकास आयुक्त, सीएसईजेड
13	अनीता अग्निहोत्री	विकास आयुक्त, सीप्ज
14	डॉ. के. एम. सोनी	महाप्रबंधक (डब्ल्यू), आईटीपीओ
15	पी. के गेरा	निवासी आयुक्त, गुजरात
16	अजय कुमार	सचिव (आईटी), केरल
17	एस. कन्नन	निदेशक (एम), मसाला बोर्ड
18	एस. रामनाथ	प्रबंध निदेशक (किन्फ्रा)
19	एम. बी. गुरांग	एडिशनल सीई, सिक्किम

20	एच. एस. शर्मा	विकास अभियंता, सिक्किम
21	यू. गुरांग	निदेशक (वाणिज्य), सिक्किम
22	साजन पीटर	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड
23	अमरेश चड्ढा	संयुक्त निवासी अधि. गुजरात
24	के. सी. पोन्नना	प्रबंध निदेशक, एसटीसीएल
25	वी. जे. कुरियन	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड
26	असित त्रिपाठी	अध्यक्ष, एपीडा
27	हरपाल सिंह	उप महाप्रबंधक, एपीडा
28	चन्द्रकांत संघाई	अध्यक्ष, आईडीआई
29	के. के. शर्मा	आईडीआई सूरत
30	एस. एच. एलियास	निवासी प्रबंधक, जेके, एसआईडीसीओ
31	खुशीद ए.	एसई (परियोजना), जेके, एसआईडीसीओ
32	अरूण चतुर्वेदी	सहायक महाप्रबंधक, आरआईटीईएस
33	जे. के. भट्टी	उप महाप्रबंधक, आरआईटीईएस
34	प्रदीप कपूर	आरआईटीईएस
35	शिव सहगल	प्रबंधक, आरआईटीईएस

सं. 13/10/2008-राज्य प्रकोष्ठ
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
***

दिनांकः अगस्त, 2008

कार्यलय ज्ञापन

विषयः वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए एएसआईडीई स्कीम के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को श्री जी. के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एएसआईडीई स्कीम के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की दिनांक 5 अगस्त, 2008 को कमरा सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

(डी. के. वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23063311

सेवा में,
संलग्न सूची के अनुसार ।

प्रतिलपिः

वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव

अपर सचिव (आरजी) के प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव (पीकेसी)/संयुक्त सचिव (एनकेजी) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एएम) के के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (बीएसएस) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (डीएस)/उप सचिव (एकेएल) के निजी सचिव